# न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रकरण संख्या 11 /2017

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये | | श्री दजा वल्द जवानो<br>कौम - कल्बी<br>ग्राम - खारवा<br>तह. गुडामालानी<br>दिनांक - 28.08.17 |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. पटवारी हलका भाखरपुरा

2. अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ अनुपस्थित दजा

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार हैं । पटवारी हलका भाखरपुरा ने न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थी /~~अप्रार्थीगण~~ ने सरहद मौजा खारवा............... सरकारी भूमि ख.नं. 491/73 कुल रकबा ..........123.......... किस्म गै. मु. गोचर मेंसे ...... 3.03 बीघा भूमि पर ..........बाड़ बनाकर.......... अनाधिकृत कब्जा किया हैं , अतः इन्हें बेदखल किया जावे । अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी /~~अप्रार्थीगण~~ को जरिये नोटिस तलब किया गया ।अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर आया , जिसे शामिल पत्रावली किया गया । सर्कल परिवर्तन होने से पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी से स्थान्तरित होकर इस न्यायालय के प्राप्त हुई हैं । प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी /~~विप्रार्थीगण~~ को जरिये नोटिस तलब किया गया।

नियत तारीख पेशी दिनांक ....28.08.17...... को प्रार्थी पटवारी हलका उपस्थित तथा अप्रार्थी /~~अप्रार्थीगण~~ नोटिस तामिली कें बाबजूद अनुपस्थित , अतः एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी पटवारी हलका ने अप्रार्थी /~~अप्रार्थीगण~~ को बेदखल करने तथा दंडित करने का निवेदन किया

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा अवलोकन किया । उक्त भुमि पर अप्रार्थी /अप्रार्थीगण के अतिक्रमण की पुष्टि होती हैं अतः अप्रार्थी /~~अप्रार्थीगण~~ को [illegible] का अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत [illegible] शक्तियो का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी /अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश [illegible] जाते है । यदि मौके पर फसल खडी हो तो नष्ट कर दी जावे। लगान ....4.54...... रूपये का बीस गुणा ....91=00.... [illegible] रूपये ......

Signature Not Verified
Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 11:58:26 IST
Reason: SelfAttested

~~खड़ी हो तो नष्ट कर दी जावे। लगान ........................ रुपये का बीस गुणा ........................ अक्षरे रुपये~~ ......
इक्यानवे रुपये ........................ शास्ति जुर्माना आरोपित की जाती हैं , जो वसूल हो । जुर्माना मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तथा जुर्माना वसूली तथा बेदखली हेतु पटवारी हलका सूचित हो ।

निर्णय दिनाक 28.08.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया , पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । बाद तामिल दफतर दाखिल हो ।

(जोधसिंह)

तहसीलदार गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 11:58:26 IST
Reason: SelfAttested